फर्द अहकाम

जगदीश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

संख्या/ 48 / 2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.02.2025	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बावत् खसरा नम्बर को संशोधित करवाने एवं खाली खसरा नम्बर में नम्बर अंकि करवाने का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अभि० नि० क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील – सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 21 की खातेदारी खाता संख्या पुराना 295 एवं खाता संख्या नया 304 है, जिसके खसरा नम्बर 593 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 595 रकवा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 595/1122 रकवा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 601 रकवा 0.0800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 602 रकवा 0.1100, खसरा नम्बर 605 रकवा 0.34, खसरा नम्बर 606 रकवा कुल खसरे 7 कुल क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर है। इसी प्रकार नया खाता संख्या 45 व पुराना 41, वादी एवं प्रतिवादी संख्या दो खातेदारी खसरा नम्बर 562 रकवा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 रकवा 0.07 है० खसरा नम्बर 596 रकवा 0.07 है० खसरा नम्बर 600 रकवा 0.24 है० खसरा नम्बर 608 रकवा 0.18 हैक्टेयर कुल खसरे 5 रकवा 0.63 हैक्टेयर है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 की खातेदारी खाता संख्या पुराना 323 नया खाता संख्या 330 है जिसका खसरा नम्बर 1387/566 क्षेत्रफल 0. 0130 हैक्टेयर है जिसका वर्तमान नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर अंकित नही है जवकि पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 1387/566 अंकित है, इसलिए नये नक्शे में भी खसरा नम्बर 1387/566 अंकित होना चाहिए, खसरा नम्बर अंकित किया जावे। उपरोक्त खसरा नम्बर की खातेदारी में खसरा नम्बर वर्तमान में 600 है जो कि 600 की जगह 601 खसरा नम्बर होना चाहिए इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 601 की जगह 602 होना चाहिए, वर्तमान खसरा नम्बर 602 की जगह खसरा नम्बर 600 होना चाहिए, खसरा नम्बरो में संशोधन करवाना चाह रहे है। क्योकि वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत खसरा अंकित हो गये है जिसे संशोधन वादी एवं प्रतिवादीगण करवाना चाह रहे है संशोधित किया जावे। कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या दो लगायत नौ की खातेदारी खाता संख्या पुराना 323 नया खाता संख्या 330 है जिसका खसरा नम्बर 1387/566 क्षेत्रफल 0.0130 हैक्टेयर है जिसका वर्तमान नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर अंकित नही है जवकि पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 1387/566 अंकित है, इसलिए नये नक्शे में भी खसरा नम्बर 1387/566 अंकित होना चाहिए, खसरा नम्बर अंकित किया जावे। ....लगातार उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

प्रार्थना पत्र संख्या 148/2025

11.02.2025

उपरोक्त खसरा नम्बर की खातेदारी
600 है जो कि 600 की जगह 601 खस
प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 601 की जगह
खसरा नम्बर 602 की जगह खसरा नम्बर 6
नम्बरो मे संशोधन करवाना चाह रहे है। क्यो
में गलत खसरा अंकित हो गये है जिसे दुरूस्त
मे आवश्यक है।

पत्रावली का मय दस्ता
बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्ता
किया गया अवलोकन करने पर पाया कि वादी एवं
2 लगायत 9 की खातेदारी खाता संख्या पुराना 32
संख्या 330 है जिसका खसरा नम्बर 1387 / 566 क्षेत्रफ
हैक्टेयर है जिसका वर्तमान नक्शा ड्रेस में खसरा नम्बर अ
है जबकि पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 1387 / 566 अंकि
इसलिए नये नक्शे में भी खसरा नम्बर 1387 / 566 अंकित
चाहिए खसरा नम्बर वर्तमान में 600 है जो कि 600 की जगह
खसरा नम्बर होना चाहिए इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर
की जगह 602 होना चाहिए, वर्तमान खसरा नम्बर 602 की
खसरा नम्बर 600 होना चाहिए। वर्तमान नक्शा ड्रेस में गलत
अंकित हो गये है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आ
है। जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन
पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना
प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धार
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसी
सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 ल
9 की खातेदारी भूमि खाता संख्या 330 के खसरा नम्बर 138
रकबा 0.0130 है0 का वर्तमान नक्शा ट्रेस में उक्त खसरा
नही है। खसरा नम्बर 1387 / 566 रकबा 0.0130 है0 को दर्ज
जाने एवं उपरोक्त ख.नं. 600 के स्थान पर ख.नं. 601 एवं
601 के स्थान पर ख.नं. 602 व ख.नं. 602 के स्थान पर ख.
को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये ज
आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जा
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)